मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ-9-3/2003/नियम/चार, भोपाल, दिनांक -09-2012
भोपाल, दिनांक 12-10-2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश,
समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—राज्य शासन के अधीन दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की जाना.

उपरोक्त विषयान्तर्गत कृपया मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ-9-3-2003-नियम-चार, दिनांक 29 दिसम्बर, 2005 (छायाप्रति संलग्न) एवं परिपत्र क्रमांक एफ-9-3-2003-नियम-चार, दिनांक 22-5-2010 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें. इस योजना में राज्य शासन के नियंत्रणाधीन ऐसे स्वशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/निगमों/मण्डलों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगरीय निकायों जिनमें वर्तमान में राज्य शासन के कर्मचारियों के समान निश्चित लाभ पेंशन प्रणाली प्रचलित हैं, के दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को भी शामिल किया जाना था. इसी अनुक्रम में परिपत्र दिनांक 22-5-2010 के द्वारा परिभाषित अंशदान के रूप में जमा की जाने वाली राशि तथा इसके क्रियान्वयन हेतु प्रक्रियाओं के विवरण से समस्त विभागों को अवगत कराया गया था तथा अनुरोध किया गया था, कि योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही दिनांक 30 जून, 2010 तक अनिवार्यत: सम्पन्न कर लें.

2. उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के राज्य शासन के नियंत्रणाधीन कतिपय संस्थाओं द्वारा इस योजना को लागू नहीं किया गया है.

3. अत: अनुरोध है कि कृपया विभाग के अधीन कार्यरत स्वशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/निगमों/मण्डलों/सार्वजनिक/उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगर निकायों को निर्देश जारी करें कि जिन संस्थाओं में वर्तमान में राज्य शासन के कर्मचारियों के समान निश्चित लाभ पेंशन प्रणाली प्रचलित हैं, के दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त समस्त कर्मचारियों को नवीन परिभाषित अंशदान पेंशन योजना का सदस्य बनाएं एवं, निर्धारित प्रक्रियानुसार, उनके वेतन से राशि काटी जाए तथा संस्था का अंशदान भी नियमित रूप से जमा कराया जाय.

राज्य शासन के निर्देशों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित संस्थाओं को दी जाने वाली अनुदान राशि रोकने पर विचार किया जा सकता है.

संलग्न :—उपरोक्तानुसार

हस्ता./-
(अजय नाथ)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ-9-3/2003/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2005

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कमिश्नर,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—राज्य शासन के अधीन दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की जाना.

संदर्भ.—वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. एफ-9-3-2003-नियम-चार, दिनांक 13 अप्रैल, 2005.

मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा व सिविल पदों पर दिनांक 1 जनवरी, 2005 के पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की गई है. इस योजना के विस्तृत नियम बनाए जा रहे हैं. विस्तृत नियम जारी होने तक दिनांक 1 जनवरी, 2005 अथवा इसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए प्रस्तावित परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारियों का अंशदान प्राप्त करने, शासन का अंशदान जमा करने एवं उसके लेखे के संधारण के लिए संदर्भित ज्ञाप दिनांक 13 अप्रैल, 2005 के अनुसार अन्तरिम व्यवस्था लागू की गई है.

2. राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यह परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली योजना राज्य शासन के नियत्रंणाधीन ऐसे स्वशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/निगमों/मंडलों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगरीय निकायों जिनमें वर्तमान में राज्य शासन के कर्मचारियों के समान निश्चित लाभ पेंशन प्रणाली प्रचलित हैं, के दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को लागू की जाए. इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9-3-2003-नियम-चार, दिनांक 13 अप्रैल, 2005 द्वारा जारी निर्देशों की प्रति संलग्न है.

3. इस संबंध में कृपया आपके अधीन कार्यरत स्वशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/निगमों/मंडलों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगरीय निकायों को आवश्यक निर्देश जारी किये जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुमित बोस)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ-9-3/2003/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 22-5- 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—राज्य शासन के अधीन दिनांक 01-01-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली योजना लागू करने के संबंध में.

सन्दर्भ.—वित्त विभाग का ज्ञाप क्र. एफ-9-3-2003-नियम-चार, भोपाल, दिनांक 29-12-2005.

उपरोक्त संदर्भित ज्ञाप के द्वारा राज्य शासन के नियंत्रणाधीन ऐसे स्वशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/निगमों/मंडलों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगरीय निकायों जिनमें राज्य शासन के कर्मचारियों के समान निश्चित लाभ पेंशन प्रणाली दिनांक 01-01-2005 के पूर्व प्रचलित थी, के दिनांक 01-01-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली लागू की गई थी (प्रति संलग्न).

वित्त विभाग के उपरोक्त आदेशों के अनुरूप इन संस्थाओं में परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली लागू की जाकर कर्मचारियों से उनके मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत कर्मचारी अंशदान के रूप में काटा जा रहा होगा, साथ ही योजना में दिए गए निर्देशों के अनुरूप नियोक्ता अंशदान भी जमा किया जा रहा होगा.

वर्तमान में राज्य शासन के द्वारा शासकीय कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली का क्रियान्वयन भारत शासन के निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है एवं कर्मचारियों के अंशदान को नियोक्ता अंशदान सहित प्रतिमाह निवेश के लिए फण्ड मैनेजरों को उपलब्ध कराया जा रहा है. इसी अनुरूप अंशदायी पेंशन प्रणाली का क्रियान्वयन स्वशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/निगमों/मंडलों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगरीय निकायों में किए जाने के उद्देश्य से निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं:—

1. अंशदायी पेंशन प्रणाली को लागू करने के लिए प्रत्येक विभाग में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए. जो विभाग के अंतर्गत आने वाले समस्त स्वशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/निगमों/मंडलों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगरीय निकायों में योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा. नोडल अधिकारी का उत्तरदायित्व कर्मचारियों के अंशदान की कटौती, नियोक्ता अंशदान सम्मिलित कराने एवं रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी को समय पर भुगतान किए जाने पर नियंत्रण रखना होगा.

2. स्वशासी संस्थाओं में अंशदायी पेंशन प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का विस्तृत विवरण संलग्न टीप में दर्शाया गया है. तदनुसार समस्त विभाग अपने अधीनस्थ स्वशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/निगमों/मंडलों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगरीय निकायों में योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही 30 जून 2010 तक अनिवार्यत: सम्पन्न कर लें ताकि माह जुलाई पेड अगस्त के वेतन से राशि का निवेश किया जाना संभव हो सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. सिंघल)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.